



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण 1941 (श10)  
(सं० पटना 1280) पटना, शुक्रवार, 22 नवम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 26/2019-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 396 दिनांक 22 नवम्बर 2019 बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 554, दिनांक 29 जून 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था (समय-समय पर यथा संशोधित), में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं। उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद(iग) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, “बस बॉडी बिल्डिंग” में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अर्न्तगत आने वाले किसी भी वाहन की चैसिस पर की जाने वाली बॉडी बिल्डिंग भी आएगी”

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-6)26)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

22 नवम्बर 2019

एस० ओ० 396 दिनांक 22 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-6)26)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

**The 22nd November 2019**  
**Notification No.26/2019-State tax (Rate)**

S.O. 396, Dated 22nd November 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do, hereby makes the following further amendment in the Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017 (as amended time to time). In the said notification, in the Table, against serial number 26, in column (3), in item (ic), the following Explanation shall be inserted, namely: -

*“Explanation- For the purposes of this entry, the term “bus body building” shall include building of body on chassis of any vehicle falling under chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.”*

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-6)-26)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1280-571+10 -डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>